राजस्थान सरकार

**औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर, राजस्थान**

कमांकः–डीसी/डी–3/कोटा/2015/ दिनांक

**// आदेश //**

श्री रोहिताश्व नागर औषधि नियंत्रण अधिकारी, कोटा ने स्थानीय समाचार पत्र चम्बल संदेश दिनांक 12.07.2014 में प्रकाशित समाचार "गडबड झालाः निर्माण तिथि नवम्बर की अभी से बाजार में दवा" के क्रम में फर्म मै0 इशिता मेडिकल स्टोर, कोटा एवं मै0 गुलाटी मेडिकल्स, कोटा का निरीक्षण किया।

इस संबंध में औषधि **Micronac Eye Drop, Batch no.MCA76,** के लेबल पर निर्माण तिथि 11/2014 अंकित होने पर निर्माता फर्म से औषधि नियंत्रण अधिकारी, कोटा द्वारा जानकारी लेने पर उक्त औषधि का निर्माण औषधि के लेबल पर अंकित निर्माता द्वारा नहीं किया जाना विदित हुआ, जिससे उक्त औषधि **Spurious Drug** हुई।

इस संबंध में थाना जवाहर नगर, कोटा शहर में एफ. आई. आर. सं0 288/2014 दर्ज की, पुलिस द्वारा जांच के दौरान श्री हर्ष शर्मा पुत्र श्री प्रेम शंकर शर्मा को गिरफ्तार कर उसके पास से ड्रोप्स की शीशीयां जब्त की, पुलिस द्वारा जब्तशुदा शीशीयों मे से औषधि नियंत्रण अधिकारी, कोटा ने नमूना जांच/विश्लेषण हेतु लिया जिसमें **Nepafenac** औषधि घटक पाये जाने की पुष्टी राजकीय विश्लेषक, राजस्थान ने की।

श्री रोहिताश्व नागर, औषधि नियंत्रण अधिकारी, कोटा इस प्रकरण में जांच पूर्ण करने के उपरान्त आज दिनांक 14.07.2015 को मेरे समक्ष उपस्थित हुऐ, उनके द्वारा प्रस्तुत समस्त मूल दस्तावेजों का अध्ययन एवं मनन करने तथा अन्वेषण के बिन्दूओं पर चर्चा करनें के पश्चात फर्म **मै0 इशिता मेडिकल स्टोर, कोटा, मै0 गुलाटी मेडिकल्स, कोटा (राज0)** इत्यादि द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 का उल्लंधन करना भली भांति साबित पाये जाने पर नियम 51(5) के तहत श्री रोहिताश्व नागर, औषधि नियंत्रण अधिकारी, कोटा के समक्ष हस्ताक्षर कर उक्त प्रकरण में समस्त दोषियों के विरूद्व न्यायिक कार्यवाही किये जाने हेतु अनुदेश दिये जाते है।

Sd/-

**(के0 जयवन्त)**
कन्ट्रोलिंग आथोरिटी एवं
औषधि नियंत्रक
राज0 जयपुर

कमांकः–डीसी/डी–3/कोटा/2015/ 423 दिनांक 14/07/2015

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. जिला कलेक्टर, जिला कोटा (राज0)
2. सहायक औषधि नियंत्रक, कोटा (राज0) को सूचनार्थ।
3. श्री रोहिताश्व नागर, औषधि नियंत्रण अधिकारी, कोटा (राज0) केम्प जयपुर को दस्ती देकर निर्देशित किया जाता है कि अपराध प्रमाणित करने योग्य दस्तावेजात एवं गवाह सूची सहित सक्षम न्यायालय में शीघ्र इस्तगासा दायर कर की गई कार्यवाही से संगठन को अवगत करावें।
4. रक्षित पत्रावली/पी. डेस्क, मु0/सी–डेस्क मु0/प्रभारी सर्वर रूम को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने बाबत।

Sd/- 14/7/15

(के0 जयवन्त)
कन्ट्रोलिंग आथोरिटी एवं
औषधि नियंत्रक
राज0 जयपुर